




दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने 'मॉर्निंग वॉक' कर जाना जनपदवासियों का हाल



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में संचालित किये जा रहे ***गुड मॉर्निंग महोबा*** कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 11.01.2021 को जनपदीय पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कहकर लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे बड़े/बुजुर्ग/महिलाएँ/बच्चों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों द्वारा छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि **'मित्र पुलिस'** के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।





दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने चोरी का माल सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे शांति चोरों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम व०उ०नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराहियान के जरिए मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 06/2021 धारा 379/411 भादवि से

सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्त गण 1. हरिओम यादव पुत्र मथुरा प्रसाद यादव 2. रामबाबू राजपूत पुत्र भाऊ राजपूत नि०गण ग्राम महुआ इटौरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा 3. मंगल राजपूत पुत्र मलखान निवासी करगुवां थाना राठ जनपद हमीरपुर को मय माल (ट्रैक्टर की ट्राली) कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. हरिओम यादव पुत्र मथुरा प्रसाद यादव
2. रामबाबू राजपूत पुत्र भाऊ राजपूत नि०गण ग्राम महुआ इटौरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. मंगल राजपूत पुत्र मलखान निवासी करगुवां थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- व०उ०नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह
- 2- उ०नि० शेर आलम खाँ
- 3- का० अजीत सिंह
- 4- का० प्रियान्शु द्विवेदी

बरामदगी -

ट्राली (ट्रैक्टर की) कीमती लगभग 01 लाख 55 हजार रुपये।



दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



महोबकण्ठ पुलिस ने गिरफ्तार किया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० सूरज प्रसाद मय हमराहियान के ०१ नफर वारन्टी अभियुक्त मुन्ना लाल पुत्र मोहन लाल उम्र करीब ४५ वर्ष, निवासी ग्राम खैरोकला थाना महोबकंठ, सम्बन्धित **परिवाद संख्या 1231/20 धारा 138 NI ACT** को ग्राम खैरोकला से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मुन्ना लाल पुत्र मोहन लाल उम्र करीब ४५ वर्ष, निवासी ग्राम खैरोकला थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

१. उ०नि० दशरथ सिंह
२. का० इंद्रेश कुमार
३. का० सज्जनलाल
४. का० महिताप



दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी/श्रीनगर द्वारा व्यापारियों के साथ की गई गोष्ठी

प्रत्येक दुकानदार सीसीटीवी कैमरा लगवाये- एसपी



आज दिनांक 11.01.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्र०नि० पनवाड़ी श्री विनोद कुमार, प्र०नि० श्रीनगर श्री संजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के समस्त सर्रीफा व्यापारी सहित सभी व्यापारियों/दुकानदारों एवं व्यापार मण्डल के अधिकारियों/सदस्यों के साथ मीटिंग की गई। जिसमें उनकी व उनके दुकान की सुरक्षा सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई। जिसमें प्रत्येक दुकानदार को अपने दुकान के अन्दर व बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की अपील की गई। इसके साथ ही कम से कम नगद (कैश) का प्रयोग करने तथा कैश परिवहन

सम्बन्धी सभी सुरक्षा इन्तजामों का प्रयोग करने को कहा गया। इसके साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया। मीटिंग में श्री अमित अग्रवाल, श्री रामलखन सोनी, श्री महेन्द्र, श्री नरेन्द्र, विनित सोनी आदि व्यापारीगण उपस्थित रहे।





दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त

आज दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० अजनर श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित टीम व०उ०नि० रामप्रताप यादव मय हमराहियान के मु.अ.सं. 03/2021 धारा 363/366/376(3) भादवि व 4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त विनोद पाल पुत्र प्रकाश पाल उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बड़खेरा थाना अजनर जिला महोबा को कस्बा अजनर से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विनोद पाल पुत्र प्रकाश पाल उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बड़खेरा थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व०उ०नि० श्री रामप्रताप यादव
2. का० राहुल यादव





दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कालेज, कुलपहाड़, की छात्राओं को दिये सुरक्षा-टिप्स



जागरुक करते वक्त सभी को बताया गया कि जनपद के प्रत्येक थाने में “महिला हेल्प डेक्स” बनाया गया है। जहाँ आप सभी बेहिचक अपनी समस्याओं को बता सकती हैं एवं उनका तत्परता के साथ निस्तारण भी किया जाएगा।



आज दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे “मिशन शक्ति” महाभियान कार्यक्रम के दृष्टिगत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा राजकीय बालिका इंटर कालेज, कुलपहाड़ में जाकर छात्राओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जागरुक किया गया तथा उन्हें महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी दी गई।





दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थाना प्रभारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराहियान व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा कबूतरा डेरा वहद ग्राम सूपा 02 नफर अभियुक्ता **1.** श्रीमती रूपा पत्नी बाबू कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष **2.** श्रीमती ओमवती

पत्नी मंगल कबूतरा उम्र करीब 26 वर्ष, निवासीगण कबूतरा डेरा ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को **02 अदद प्लास्टिक पिपिया में 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब** के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु.अ.स. 14/2021 व 15/2021 धारा 60 EX. ACT का अभियोग** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण:-

1. श्रीमती रूपा पत्नी बाबू कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष
2. श्रीमती ओमवती पत्नी मंगल कबूतरा उम्र करीब 26 वर्ष
निवासीगण कबूतरा डेरा ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस/आबकारी टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
2. कां0 अनुराग यादव
3. आबकारी निरीक्षक श्री कुसुमाकर धर
4. आब0कां0 अभिषेक कुमार कुशवाहा
5. आब0 म0का0 संगीता देवी



दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा चेकिंग अभियान के तहत पैदल गस्त करके चेक किये गये संदिग्ध एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

चेकिंग की गई, इसके साथ ही बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **व्यक्तियों 24 से 5450/-रु0** जुर्माना व **50 ई-चालान** किये गये।



आज दिनांक 11.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय द्वारा प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ के साथ तथा जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की





दिनांक:- 11.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police